संस्थापित १८६७ ई०

ओ३म्

# आर्य मित्र

साप्ताहिक

आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुख पत्र

एक प्रति ₹ २.००
वार्षिक शुल्क ₹ १००
(विदेश ५० डालर वार्षिक) आजीवन शुल्क ₹ १०००

● वर्ष : १२३ ● अंक - २७ ● ०३ जुलाई २०१८ आषाढ़ कृष्ण पक्ष पंचमी संवत् २०७५ ● दयानन्दाब्द १९४ वेद व मानव सृष्टि सम्वत् : १९६०८५३११६

हरिद्वार चलो! हरिद्वार चलो! हरिद्वार चलो!

ओ३म्

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली के तत्वावधान में

## अन्तर्राष्ट्रीय गुरुकुल महासम्मेलन

गुरूकुल कांगड़ी हरिद्वार ६,७,८ जुलाई २०१८

उद्घाटन समारोह - ०६ जुलाई सायं ४.०० बजे

मुख्य अतिथि

**मा० त्रिवेन्द्र सिंह रावत,** मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड

एवं

## योग गुरु स्वामी रामदेव

एवं

ध्वजारोहण **डॉ० धीरज सिंह आर्य,** सभा प्रधान

(आर्य प्रतिनिधि सभा उ०प्र०) द्वारा सम्पन्न होगा

स्वामी विवेकानन्द सरस्वती | स्वामी प्रणवानन्द सरस्वती | स्वामी धर्मानन्द सरस्वती | स्वामी सुमेधानन्द (सांसद) | आचार्य बालकृष्ण | स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती | स्वामी धर्मेश्वरानन्द | स्वामी सर्वदानन्द | स्वामी यतीश्वरानन्द | डॉ० धीरज सिंह

# एक दिवसीय वैदिक सिद्धान्त शिविर सम्पन्न

गाजियाबाद आर्य केन्द्रीय सभा महानगर गाजियाबाद के तत्वावधान में वैदिक सिद्धांत शिविर आर्य समाज नया आर्य नगर मेरठ रोड़ गाजियाबाद में प्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाजसेवी श्री ओम प्रकाश आर्य की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।

वैदिक सिद्धांत शिविर के मुख्य वक्ता आर्य जगत के उच्च कोटि के विद्वान पूज्य स्वामी धर्मेश्वरानन्द सरस्वती मंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ने अपने उद्धबोधन में बताया की जनपद गाजियाबाद के समस्त आर्य समाजों में एकरूपता होनी चाहिए और यह भी अवगत कराया कि प्रत्येक आर्य समाज के पदाधिकारी नियम उप नियमों का पालन करते हुए आर्य समाजों को संचालित करें।

इस अवसर पर सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के कोषाध्यक्ष श्री माया प्रकाश त्यागी ने वेदमंत्र के आधार पर एक रूपता पर बल दिया आर्य केन्द्रीय महानगर गाजियाबाद के संरक्षक आर्य प्रतिनिधि सभा लखनऊ के प्रतिष्ठित सदस्य श्रद्धानन्द शर्मा ने उदाहरण देकर के आर्य समाजों के पदाधिकारियों को सिद्धान्तों के प्रति सजग रहने क्या आह्वान किया।

कोषाध्यक्ष संत लाल मिश्र ने आर्य समाजों में प्रयोग होने वाली रसीद बुक, रजिस्टर इत्यादि के रखरखाव का डेमोस्ट्रेशन दिया और वैदिक सिद्धान्त शिविर पर एक प्रखर उद्धबोधन दिया जिसकी पूरी सभा ने करतल ध्वनि के साथ प्रशंसा की। सभा का कुशल संचालन मंत्री नरेन्द्र कुमार पांचाल द्वारा किया गया।

अंत में प्रधान सत्यवीर चौधरी ने सबको धन्यवाद ज्ञापित किया शांति पाठ के साथ वैदिक सिद्धांत शिविर संपन्न हआ आर्य समाज नया आर्य नगर मेरठ रोड के द्वारा कार्यक्रम के उपरांत सभी अतिथियों, विद्वानों को भोजन कराया गया।

इससें जनपद के ज्यादातर आर्य समाजों के पदाधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से ज्ञानेन्द्र सिंह आर्य प्रधान, कृष्ण देव आर्य मंत्री, उमेश दत्त आर्य कोषाध्यक्ष, डॉ. आर के आर्य भूड भारतनगर, सतीश सहारण गोविंदपुरम्, प्रवीण आर्य, प्रेमपाल सिंह, नंदग्राम, हरवीर सिंह, अरूण वशिष्ठ, यज्ञवीर चौहान, वेद प्रकाश आर्य, सत्य पाल आर्य श्री रमेश आर्य, सुरेश कुमार गर्ग, बालेश्वर पांचाल, अश्वनी बत्रा इत्यादि दल बल के साथ उपस्थित रहे।

**डॉ. धीरज सिंह**
प्रधान/संरक्षक

**स्वामी धर्मेश्वरानन्द सरस्वती**
मंत्री/प्रधान सम्पादक

## सम्पादकीय.....

# आर्य समाज में दाहसंस्कार के लिए महिला/पुरूष की बाध्यता नहीं न्यायालय ने दिया महत्वपूर्ण फैसला

दुर्ग। गत दिनांक २६ मई २०१८ को दैनिक हरिभूमि के दुर्ग संस्करण में प्रकाशित इस समाचार ने एक बार फिर वैदिक संस्कृति की श्रेष्ठता एवं आर्यसमाज की वैज्ञानिक मान्यता पर मोहर लगा दी है। आर्यसमाज अपने जन्मकाल से ही दकियानुसी सोच पर कुठाराघात करता आया है। वैदिक संस्कृति में नारी का स्थान अत्यन्त गरिमामंडित है। पुरूष और नारी दोनों ही राष्ट्रोन्नति के आधार पर हैं। पुरूष यदि द्युलोक है नारी पृथ्वीलोक है दोनों के सामंजस्य से ही सौर जगत् गतिमान बना है।

वैदिक संस्कृति जैसा नारी का श्रेष्ठतम् स्थान विश्व के किसी भी संस्कृति में नहीं है। इस्लाम में नारी इमाम नहीं बन सकती न ही ईसाई मत में नारी बपतिस्मा करा सकती है किन्तु वैदिक धर्म में नारी यज्ञ करा सकती है इसी कारण उसे आचार्या कहा गया– ''स्त्रीहि ब्रह्मा बभूविथ'' वेद में लिखा–धर्म कर्म में नारी का वही स्थान है जो पुरूष का है। मध्यकाल में तथाकथित धर्माचार्यों ने स्वार्थवश नारियों के अधिकार हड़पकर नारी को शूद्रसम बता दिया। मुगलकाल में पैर की जूती समझी गई। घर की चार दीवारी में कैद कर छटपटाने को मजबूर कर दी गई। बूरका पहनाकर चौका चूल्हा तक सिमटा दी गई। उसे केवल भोग की वस्तु माना गया। विधवा को पुनर्विवाह से वंचित कर नारी समाज को गर्त में डाल दिया। पति की मृत्यु के उपरान्त स्त्री को जबरन उसके साथ जला दिया जाता रहा। छोटी–छोटी कन्याओं की शादी बूढ़ों से कर दी जाती थी। मन्दिरों में चढ़ाकर देवदासी के रूप में तिलतिलकर मरने को विवश होती थी। बेटा–बेटी में भेदभाव करने की कुण्डित मानसिकता भी एक भयंकर अंधविश्वास का रूप धारण कर चुकी है। ऐसी कुप्रथाएं लम्बे काल तक रही। इनमें कुछ आज तक चलती आ रही है। जैसी दहा संस्कार केवल बेटा ही कर सकता है बेटी नहीं जबकि संस्कारों के प्रतिपादक गृह्यसूत्रों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

आर्यसमाज की रीति–नीति के अनुसार दाह–संस्कार के लिए किसी महिला–पुरूष या पारिवारिक सदस्य की बाध्यता नहीं है। आपसकी सहमति से यह संस्कार काई भी कर सकता है। यह महत्वपूर्ण फैसला एक परिवाद में देते हुए दुर्ग (छ.ग.) के विद्वान् न्यायाधीश श्री प्रवीण मिश्रा ने याचिका खारिज कर दी। दरअसल मामला ऐसा था कि प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सुनील दत्त की मौसी और आर्य समाज भिलाई की संस्थापक सदस्य व पूर्व अध्यक्ष समजा सेविका ६४ वर्षीय ३८ ओल्ड नहरू नगर भिलाई निवासी सावित्री बख्शी पति स्व. तीरथराम बख्शी का ८ नवम्बर २००६ को केंसर से निधन हो गया था। वे सतीशचन्द्र छिब्बर, सुभाषचन्द्र छिब्बर, जितेन्द्र बख्शी और सुमनबाली की माँ थी। उनका अंतिम संस्कार ६ नवम्बर को रामनगर मुक्तिधाम भिलाई में वैदिक रीति–रिवाज से किया गया था। उनकी इच्छा के मुताबिक उनके ज्येष्ठ पुत्र सतीशचन्द्र छिब्बर ने भिलाई आर्यसमाज के धर्माचार्य उद्धव शास्त्री से सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के उद्देश्य से दाह संस्कार कन्या गुरूकुल आमसेना की विदुषी कन्या द्वारा करवाने का आग्रह किया। इसके अनुरूप परिजानों, आर्यसमाज भिलाई, गुरूकुल आमसेना खरियाररोड के शास्त्रियों की मौजुदगी में वैदिक रीति से कियाय या था, उनकी पार्थिव देह को अग्नि संस्कार गुरूकुल की विदुषी स्नातिका कुमारी सुरूचि शास्त्री ने दी। गुरूकुल आमसेना के स्वाामी व्रतानन्द के साथ ८ शास्त्रियों और आर्यसमाज भिलाई के राजकुमार शास्त्री व उद्धव शास्त्री व अन्य विद्वानों ने अंतिम संस्कार करवाया था। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच स्व. बख्शी की चिता पर आहुतियां पुत्र सतीशचन्द्र, सुभाषचन्द्र, जितेन्द्र बेटी सुमन व अन्य बहुओं ने डाली थी। उसके बावजूद सतीशचन्द्र के दोनों भाईयों ने उन पर मानहानि का मुकदमा और धार्मिक भावना को आहत करने का मुकदमा चलाने के लिए परिवाद प्रस्तुत कर दिया था। ऐतिहासिक फैसले में न्यायाधीश ने कहा कि मृतका सावित्री बख्शी आर्यसमाज से जुड़ी थी, आर्यसमाज के सिद्धान्त पर उनकी गहरी आस्था थी, उनकी मृत्यु बाद अन्तिम संस्कार एक लड़की से कराया गया। यह संस्कार महिला या पुरूष से कराने से किसी तरह की धार्मिक भावना आहत नहीं होती। इससे किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे ऐसा परिवाद में प्रदर्शित नहीं होता इसलिए परिवाद को निरस्त किया जाता हैं।

उपर्युक्त न्यायालयीन निर्णन को छत्तीसगढ़ प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभा के यशस्वी प्रधान आचार्य अंशुदेव आर्य जी ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए वैदिक परम्परा की विजय के रूप में निरूपित किया है। क्रान्तिकारी संस्था आर्यसमाज ने भारत के अन्दर जालन्धर (पंजाब) में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था। नारी उद्धार हेतु ही आर्यसमाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द ने कितनी यातनाएं झेली और इसे शिक्षा का अधिकार दिलाया। नारी उत्पीड़न, दहेज–हत्या, नारी शोषण, नारी अत्याचार, वैज्ञानिक युग की दुहाई तथा अन्तरिक्ष युग का उद्घोष दूसरी ओर समाज की संकीर्ण मानसिकता नर–नारी में भेदभाव, नारी प्रतिभा की उपेक्षा उसकी उन्नति में बाधा डालना अपनी प्राचीन संस्कृति की घोर उपेक्षा करना है।

राष्ट्रोन्नति का मूलाधार नारी है क्योंकि वही सुयोग्य नागरिक का निर्माण सन्तति द्वारा करती है, इसलिए वह सुसंस्कृत, समुन्नत, जागृत और सशक्त होगी, तभी समाज व राष्ट्र उन्नति के शिखर में पहुंच सकेंगे अन्यथा नहीं। ईश्वर सद्बुद्धि दे, जिससे सभी को समान अवसर प्राप्त हो और वे जीवन को सार्थक कर सकें।

– सम्पादक

गतांक से आगे ..... **सत्यार्थ प्रकाश**

**अथ षष्ठ समुल्लासारम्भः**

## अथ राजधर्मान् वक्ष्यामः

सब वर्णों में धार्मिक, विद्वान् निष्कपटी, सब प्रकार को जानने वाले, लोभरहित, सत्यवादियों को न्यायव्यवस्था में साक्षी करे इन से विपरीतों को कभी न करे।।१।।

स्त्रियों की साक्षी स्त्री, द्विज, शूद्रों के शूद्र और अन्त्यजों के अन्त्यज साक्षी हों।।२।।

जितने बलात्कार काम, चोरी, व्यभिचार, कठोर वचन, दण्डनिपातन रूप अपराध हैं उन में साक्षी की परीक्षा न करे और अतयावश्यक भी न समझे क्योंकि ये काम गुप्त होते हैं।।३।।

दोनों ओर के साक्षियों में से बहुपक्षानुसार, तुल्य साक्षियों में उत्तम गुणी पुरूष की साक्षी के अनुकूल और दोनों के साक्षी उत्तम गुणी और तुल्य हों तो द्विजोत्तम अर्थात् ऋषि महर्षि और यतियों की साक्षी के अनुसार न्याय करो।।४।।

दो प्रकार से साक्षी होना सिद्ध होता है एक साक्षात् देखने और दूसरा सुनने से, जब सभा में पूछें तब जो साक्षी सत्य बोलें वे धर्महीन और दण्ड के योग्य न होवें और जो साक्षी मिथ्या बोलें वे यथायोग्य दण्डनीय हों।।५।।

जो राजसभा वा किसी उत्तम पुरूषों की सभा में साक्षी देखने और सुनने से विरूद्ध बोले तो वह (अवाङ्नरक) अर्थात् जिह्व के छेदन से दुःखरूप नरक को वर्त्तमान समय में प्राप्त होवे और मेरे पश्चात् सुख से हीन हो जाय।।६।।

साक्षी के उस वचन को मानना कि जो स्वभाव ही से व्यवहार सम्बन्धी बोले और सिखाये हुए इससे भिन्न जो-जो वचन बोले उस-उस को न्यायाधीश व्यर्थ समझें।।७।।

जब अर्थी (वादी) और प्रत्यर्थी (प्रतिवादी) के सामने सभा के समीप प्राप्त हुए साक्षियों को शान्तिपूर्वक न्यायाधीश और प्राड्विवाक अर्थात् वकील वा वैरिस्टर इस प्रकार से पूछें।।८।।

हे साक्षि लोगो! इस कार्य्य में इन दोनों कके परस्पर कर्मों में जो तुम जानते हो उस को सत्य को प्राप्त होके सुख भोगता है। इस जन्म वा परजन्म में उत्तम कीर्ति को प्राप्त होता है, क्योंकि जो यह वाणी है वही वेदों में सत्कार और तिरस्कार का कारण लिखी है। जो सत्य बालेता है वह प्रतिष्ठित और मिथ्यावादी निन्दित होता है।।१०।।

सत्य बोलने से साक्षी पवित्र होता और सत्य ही बोलने से धर्म बढ़ता है, इस से सब वर्णों में साक्षियों को सत्य ही बोलना योग्य है।।११।।

आत्मा का साक्षी आत्मा और आत्मा की गति का अपमान मत कर अर्थात् सत्यभाषण जो कि तेरे आत्मा मन वाणी में हैं वह सत्य और जो इससे विपरीत है वह मिथ्याभाषण है।।१२।।

जिस बोलते हुए पुरूष का विद्वान् क्षेत्रज्ञ अर्थात् शरीर का जानने हारा आत्मा भीतर शंका को प्राप्त नहीं होता उससे भिन्न विद्वान् लोग किसी को उत्तम पुरूष नहीं जानते।।१३।।

हे कल्याण की इच्छा करनेहारे पुरूष! जो तू 'मैं अकेला हूं' ऐसा अपने आत्मा में जानकर मिथ्या बोलता है सो ठीक नहीं है किन्तु जो दूसरा तेरे हृदय में अन्तर्यामीरूप से परमेश्वर पुण्य पाप को देखने वाला मुनि स्थित है उस परमात्मा से डरकर सा सत्य बोला कर।।१४।।

लोभान्मोहाद्भयान्मैत्रात्कामात्कोधात्तथैव च। अज्ञानाद् बालभावाच्च साक्ष्यं वितथमुच्यते।।१।।

एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनृतं वदेत्। तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः।।२।।

लोभात्सहस्त्रं दण्डयस्तु मोहात्पूर्वन्तु साहसम्। भयाद् द्वौ मध्यमौ दण्डयौ मैत्रात्पूर्वं चतुर्गुणम्।।३।।

कामाद्दशगुणं पूर्वं क्रोधात्तु त्रिगुणं परम्। अज्ञानाद् द्वे शते पूर्णे बालिश्याच्छतमेव तु।।४।।

क्रमशः

धरोहर...

# आर्य समाज के भविष्य के शिल्पकार – स्वामी देवव्रत सरस्वती

स्वामी धर्मेश्वरानन्द सरस्वती
मंत्री, आर्य प्रतिनिधि सभा
उ०प्र०, लखनऊ
संचालक–गुरूकुल पूठ, हापुड़
मो० ६८३७४०२१६२

संस्कृत में एक श्लोक है–

नारिकेल समाकाराः दृश्यन्तेहि सुह्रज्जनाः।
अन्ये तु बदिराकारा बहिरेव मनोहराः।।

नारियल को यदि देखते है तो बाहर से अत्यन्त कठोर है देखने में भी जटाजूट है लेकिन अन्दर से मुधर दूध निकलता है श्वेत, कोमल स्वरूप है यही सज्जनों का स्वरूप होता है जो पके बेर की तरह ऊपर से सुन्दर चिकने होते हैं अन्दर कठोर गुठली होती है जो खाने पर दांत टूटने की भी सम्भावना रहती है उन्हें सज्जन नहीं कहा जा सकता है।

इसी प्रकार आर्य समाज का भविष्य संवारने में अहर्निशं सेवामहे को साक्षात् पुरूषार्थ करते हुए आर्य वीरों के प्रेरणापुञ्ज हैं आर्य सन्यासी स्वामी डॉ०–देवव्रत जी सरस्वती प्रधान संचालक, सार्वदेशिक आर्यवीरदल, जो कलियुग में धनुर्वेद की खोज करके लाये हैं महाभारत के समय ही जिसका लोप हो गया था या कहें विदेशी आक्रान्ताओं द्वारा पुस्तकालयों में जलाकर भस्म कर दिया गया था उस उपवेद को साकार रूप देने वाले स्वामी जी हमें वरदान के रूप में मिले हैं। मैं तो स्वामी जी के विषय में कहा करता हूं, जो घोषणा कभी गुरू द्रोणाचार्य ने की थी–

अग्रतः में चतुरो वेदाः पृष्ठतः में सशरं धनुः।
द्वाभ्यामेव समर्थोऽस्मि शापदपि शरादपि।।

मेरे आगे अर्थात् ज्ञान में ४ वेद उपस्थित हैं कण्ठस्थ हैं तथा कमर पर पीछे वीर सहित धनुष है आवश्यकता पड़ने पर कभी भी प्रयोग हो सकता है अतः दोनों प्रकार से सामर्थ्यवान हैं शाप अर्थात् क्रोधाग्नि से अनुशासन बनाना तथा शरादीप लाठी तलवार वाणविद्या अर्थात् प्रयोग द्वारा भी अनुशासन बनाना जानते हैं स्वामी जी महाराज स्वामी जी के सर्वप्रथम दर्शन गुरूकुल झज्जर की स्वर्ण जयन्ती फरवरी १९६६ में व्यायाम प्रदर्शन के समय किये थे विशेष रूप से हम व्यायाम प्रदर्शन देखने ही गए थे स्वामी इन्द्रवेश जी उन दिनों ब्र० इन्द्रदेव मेधार्थी के रूप में प्रसिद्ध थे अपने प्राणायाम द्वारा सरिया मोड़ना जंजीर तोड़ना छाती पर पत्थर की जगह थाली फाड़वाना आदि चमत्कारिक प्रदर्शन किया था अपने भी अपने चमत्कारिक विशेष आसन लाठी की भिडन्त आदि–आदि व्यायाम दिखाये थे फिर आप विशेष योग्यता अर्जित की और विभिन्न प्रकार के व्यायामों का प्रशिक्षण प्राप्त किया जैसे मल्लखम्भ लकड़ी, रस्सामल्लखम्ब ये व्यायाम के वल दक्षिण भारत में ही थे अपने पूरे भारत वर्ष में इसका प्रचार किया है तथा युवाओं को प्रशिक्षण देकर तैयार भी किया है यह आर्य जगत् के लिए गौरव की बात है।

वर्ष १९६७ में जब आप गुरूकुल ततारपुर में प्रथम बार आये थे तब अपने हमें लाठी के अभ्यास सिखाये थे और दण्ड–बैठकों के प्रकार सिखाये थे कुछ विशेष आसनों का भी प्रशिक्षण दिया था आपका शरीर एकदम हल्का–फुल्का था स्फूर्ति थी तभी से व्यायाम के प्रति रूचि एवं जागृति प्रदान की थी आपने संकल्प भी कराया था कि व्यायाम प्रतिदिन करना है उसे मैं प्रातः आपको याद करके नियम निभा रहा हूं एक दिन इसी प्रकार आपका संकल्प स्मरण करते हुए मन में विचार आया कि सम्भवतया प्रातःकाल की दिनचर्या को अनुशाशित कराने के लिए जो सज्जन संकल्प कराते हैं और नियम पूर्वक करते हुए धर्म मानकर दिया हुआ भंग न हो जाये उसक्षण जब उन्हें याद करते हैं तभी सम्भवतया वे, गुरूजन प्रातः स्मरणीय बन जाते हैं जिन्हें प्रातः उठते ही याद करें।

ऐसे प्रातः स्मरणीय हैं स्वामी देवव्रत सरस्वती व्यायाम करते हुए प्रातःकाल उनका स्मरण होना ही है मथुरा में जब आर्य महासम्मेलन चल रहा था उसमें योगर्षि स्वामी रामदेव जी आर्यवीर दल महासम्मेलन में बोल रहे थे तब उन्होंने स्पष्ट एवं विनयपूर्वक कहा था कि मुझे व्यायाम प्रशिक्षण बाल्यकाल में दण्ड बैठक लगाना इसके प्रकार सभी नियम जो सिखाये हैं उसके गुरू हैं स्वामी देवव्रत जी आचार्य स्वामी जी वहीं बैठे हुए गर्वानुभूति कर रहे थे पूरे भारत में लाखों युवाओं को अपने शिविरों के माध्यम से व्यायाम प्रशिक्षण प्रदान किया है कितने युवाओं का चरित्र निर्माण हुआ है आर्य वैदिक संस्कृति द्वारा परिज्ञान कितने युवाओं को मिला है यह एक पृथक् से पुस्तक तैयार हो सकती है पूरे वर्ष निरन्तर कार्य चलता ही रहता है पूरे देश में कभी महाराष्ट्र तो कभी उड़ीसा कभी उ०प्र० कभी हरयाणा कभी पंजाब कार्य एक ही संकल्प है–आर्यवीरदल–आर्य समाज का भविष्य, संस्कार, संस्कृति, शक्ति सेवा की भावना प्रदान करके सच्चे चरित्रवान युवा आर्य बनाकर आर्य समाज को सौंप देना कितना बड़ा पुण्य का कार्य है। आर्य वीरांगना शिविर, कन्या गुरूकुलों में अथवा कालेजों में कन्याओं को अपने चरित्र की रक्षा हेतु मानसिक, शारीरिक रूप से दक्षता प्रदान करना उन्हें स्वावलम्बी बनाना जब कन्यायें तलवार लेकर मैदान में निकलती हैं उनका मन भी परिष्कृत हो जाता है यह संगठन पूरे देश में स्वामी जी के नेतृत्व में चल रहा है– युवा निर्माण, भारत निर्माण चरित्र निर्माण ये शब्द प्रर्यायवाची हैं जिसके शिल्पकार हैं पूज्य स्वामी देवव्रत जी आचार्य उन्हें कौन भूल सकेगा।

स्वामी जी से पूर्व प्रधान संचालक श्री पं० बालदिवाकर जी हंस एवं श्री पं० नरेन्द्र जी हैदराबाद, श्री ओमप्रकाश जी त्यागी रहे हैं ऐसे गौरवशाली पद पर स्वामी जी पिछले ३५ वर्षों से सुशोभित हैं प्रदेश स्तर पर भी प्रत्येक प्रान्त में आपका संगठन कार्य कर रहा है फिर जितना स्तर से ग्रामीण इकाइयां हैं नगर में भी पृथक् से नगर समितियां कार्यरत हैं जहां व्यायामशालायें चल रही हैं विशेष रूप से भारत वर्ष के सभी गुरूकुलों में चल रही हैं। आपके पाठ्यक्रम तथा प्रणाली से ही व्यायाम करके स्वयं को स्वस्थ्य रखते हैं एवं अन्यों को भी स्वस्थ्य रखने के लिए व्यायाम प्रशिक्षण देते रहते हैं।

अपने व्याकरण, वेद, वेदांगों का अध्ययन किया है उसे स्वाध्याय से सुरक्षित कर संवर्द्धित भी करते रहते हैं अपका लिखा हुआ ग्रन्थ " वेद स्वाध्याय " प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है तथा नवीनतम कृति है "व्याख्यान शतकम्" जिसमें १०० व्याख्यान हैं विशेष रूप से उपदेशकों स्नातकों प्रचारकों को लाभकारी है यदि स्वाध्यायशील महानुभाव किसी विशेष विषय की जानकारी करना चाहेंगे तो उन्हें वह संजीवनी बनकर नीवनता प्रदान करेगा। सत्यार्थ प्रकाश को प्रत्येक आर्य परिवार में यदि स्वाध्याय करने वाले थे हो तो मैं समझता हूं साप्ताहिक सत्संगों में विद्वान् के अभाव में उसका प्रयोग किया जा सकता है।

धनुर्वेद पर आपका शोध ग्रन्थ पुस्तकालयों में शोभा बढ़ा रहा है व्यायाम, आसन, नियुद्धम् आर्यवीरदल बौद्धिक एवं शारीरिक पाठ्यक्रम, संगीत प्रत्येक व्यायाम का पृथक, पृथक अपने चिन्तन से तैयार किया है उसका प्रमाण किसी दूसरे से नहीं दिया जा सकता है। अर्थात् आप दूसरे प्रमाणिक विद्वान् है यह हमारे लिए गर्व की बात है। बैठक में आप भाषादि से दूर केवल कार्य की बात करने की अनुमति प्रदान करते हैं आपका धैर्य प्रशंसनीय है मैं कभी उसक्षण को भूल नहीं पाता अपितु उससे प्रेरणा लेकर सदैव ऊर्जा प्राप्त करता रहता हूँ।

दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय आर्यवीरदल का महासम्मेलन चल रहा था पूरी तैयारी हो चुकी थी अतिथि भी काफी पहुंच गए थे। अचानक तूफान आया वर्षा आई और थोड़ी ही देर में सब कुछ भूतपूर्व हो गया सामियाना मंच धवस्त हो गए टीन उड़ गई कुछ आर्यवीरों को चोटे भी आईं ऐसी परिस्थिति में कोई कर भी क्या सकता था शिकायत का कोई अवसर नहीं था एक ही उपाय था अपने–अपने घरों को आ जायें कुछ लोग चले भी गए थे लेकिन दूरस्थ लोग जो रेल द्वारा आये थे रिजर्वेशन था वे क्या करें भला हो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री साहिब सिंह वर्मा जी का उन्होंने राज्य सरकार द्वारा सहायता एवं भोजन–आवास व्यवस्था से सभी को निश्चिन्त कर दिया था मैं रात्रि में जब आपके पास जाकर बैठा ही कि कुछ धौर्य की वार्ता करेंगें आपने यक्ष–युधिष्ठिर तालाब की घटना की तरह धैर्य का परिचय देकर आश्वस्त किया कार्यक्रम होगा और अच्छा ही होगा हुआ भी यही कि रात्र में ही (उ०प्र० पूर्वी) आर्य वीरों ने मञ्च था और पाण्डाल को व्यवस्थित कर दिया था कार्यक्रम बहुत सुन्दर हुआ और सभी आर्यवीर प्रेरणा लेकर गए थे।

मुझे अपका स्नेह एवं आशीर्वाद सदैव मिलता रहा है किसी विशेष विषय में मन्त्रणा करके उसका समाधान आप करते हैं और भविष्य की

शेष पृष्ठ ६ पर

# एक मार्ग

–सोहन लाल शारदा,

शाहपुरा, भीलवाड़ा, राजस्थान

"यदि लोग हमारी अंगुलियों की बत्तियां बनाकर जला देवें तो भी कुछ भी चिन्ता नहीं। अवश्य ही जोधपुर जाकर उपदेश करेंगे।"

और आगे यह भी कहा कि "अब किसी भी प्रकार की चिन्ता नहीं। सत्यार्थ प्रकाश भी ठीक हो गया। जो कुछ करना था कर चुके। अब कोई बात शेष नहीं रही। इस शरीर का अब कुछ भरोसा नहीं। न जाने किसी की समय छूट जाय।"

आगे वर्णन करते हैं कि – मैं पुनः जन्म (पुनर्जन्म) में शेषभाष्य वेदों का करूंगा। आगे महर्षि कहते हैं कि–"मैं इस वेद भाष्य के लिये फिर पुनर्जन्म लेकर वेद भाष्य का अवशिष्ट भाष्य पूरा करूंगा। तब जो भी मेरे विरूद्ध हुए हैं। वे सभी शान्त हो जावेंग और तभी आर्य श्रद्धावान् आर्यजन जेठमल, कमलनयन कौरा ने आग्रह पूर्वक प्रार्थना से कहा था कि–

भगवन्! यह मारवाड़ देश गंवार मूढ़ जनों का देश है। वहां दुष्ट जनों का अत्यधिक वास है। आप वहां नहीं पधारें। इस प्रकार के आग्रह पूर्वक प्रार्थना पर ही महर्षि ने उपरोक्त वचन कहे थे। (पं. लेखराम कृत जीवनी, आर्य भाषानुवाद, नया बास आर्य समाज प्रथम संस्करण पृष्ठ ६१७ व १८)

इससे पूर्व भी शाहपुरा के राजाधिराज सरनाहर सिंह वर्मा ने भी जोधपुर पधारने पर अपनी असहमति प्रकट की थी। जिसका वर्णन स्वयं महर्षि ही एक पत्र में जो रावराजा तेज सिंह जोधपुर को लिखते हैं कि–

"गत दिवस श्रीमानों को पत्र शाह प्रदेश को दिखाया"। उससे अनुमान होता है कि जोधपुर को आने की सम्मति कठिनता से देवेंगें।"

इससे आगे जोधपुर प्रस्थान हेतु क्या करना है। इस विषय पर स्वयं ही लिखते हैं कि– "हमारी सम्मति से उपाय यह है कि जब मेरा पत्र आवे तभी आप किसी दूसरे पुरूष को यहां शाहपुरा भेज देवें। वे कहेंगे पश्चात् मैं आग्रहपूर्व विशेष तौर पर कहूंगा। सो आशा है कि मान जावेंगे। क्योंकि शाहपुराधीश बड़े बुद्धिमान है।" (पत्र विज्ञापन दूसरा भाग पृष्ठ ६६३ मीमांसक जी)

इस पत्र में यह भी सूचित करते हैं कि– "पांच सात दिन पश्चात् यहां एक राज में और दूसरा पुण्डरीक जी के यहाँ अग्निहोत्र का आरम्भ होगा। इसके लिए उचित उपदेश व विधि बतलाने में सात आठ दिन लगेंगे।"

इस प्रकरण से यह सिद्ध है कि सन्ध्या यज्ञ तथा विधि उचित समय करना सिखाने में पढ़ाने शुद्ध उच्चरण कराने में एक सप्ताह पूरा चाहिए। इतने समय में ही सर्व मंत्रार्थ भी बताया जा सकता है। इसके महत्व का वर्णन भी यहां इस प्रकार से करते हैं कि– "मैं जैसा सत्य वैदिक धर्म की उन्नति और स्वदेश का उपकार होने में प्रसन्न होता हूँ। वैसा किसी भी अन्य विषय से नहीं। इसलिये कि मनुष्य जन्म, विद्वान् राजा व धनाढ्य होने का इसका मुख्य फल है। सन्ध्या यज्ञ का।

अतः सत्य वैदिक धर्म व राष्ट्र रक्षा के साथ–साथ पूर्ण स्वस्थ रहते हुए मानव मात्र के कल्याणार्थ अपने सभी ग्रन्थ लिखते हुए वेदभाष्य करते हुए शाह नरेश को पूरे ७० दिन पर्यन्त राजनीति धर्मनीति पढ़ाते रहे।

अतः हमारा कर्तव्य यही है कि हम आर्य समाज मन्दिरों प्रथम में पढ़ाई वह भी सन्ध्या यज्ञ की यथा विधि जैसी महर्षि कृत सर्व ग्रन्थों के संकलन कर यथा समय करने कराने की प्रेरणा करते ही रहना है।

इसी निमित्त नई पीढ़ी को आर्य बनाने के लिए प्रथम दश नियम कुछ व्याख्या सहित पुनः सन्ध्या सर्व महर्षि कृत ग्रन्थों को मिला समन्वयात्मक ढंग से पढ़ा कर उसे प्रयोग में लेने के लिए इसका लाभ भी बताना है।

अब आगे संस्कार विधि व पंच महायज्ञ विधि को समन्वय कर विधि शुद्ध उच्चारण सिखाना है। महर्षि का सामान्य प्रकरण में आदेश है कि–

इतने मंत्र तो अवश्य पढ़ लेवे।

इनको पढ़ाने से ही एकरूपता तो आवेगी ही और मन्त्रार्थ जाने से श्रद्धा बढ़ेगी और इससे होने वाले लाभों से भी साक्षात्कार हो सकेगा।

इसी हेतु ही दशम् समुल्लास में वर्णन है कि–

"विद्वानों का यही कार्य है कि सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करके परम आनन्दित होते हैं। वे ही गुणदायक पुरूष विद्वान् होकर धर्म अर्थ, काम और मोक्ष रूप फलों को प्राप्त होकर अति प्रसन्न रहते हैं।

इस प्रकार के लाभ प्राप्ति के लिए ही सप्तम समुल्लास में वर्णन है कि –" बिना कारण के कार्योत्पत्ति का होना असम्भव है। जैसे जंगली मनुष्य सृष्टि को देखकर भी विद्वान् नहीं हो सकता और जब उसको उत्तम शिक्षक मिल जाय तो वह भी विद्वान हो ही जाता है और अब भी और आगे भी किसी से पढ़े बिना कोई भी विद्वान् नहीं बन सकता।

जैसे किसी के बालक जन्म से ही एकान्त देश अविद्वानों का संग वा पशुओं के संग में रख देवें तो वह जैसा संग वैसा ही हो जावेगा। इसका दृष्टान्त जंगली भील आदि है। यहां आगे अन्त में वर्णन करते हैं कि–

"सुशिक्षा के पाने से ही प्राचीन जन विद्वान् हो गये हैं। परमपिता परमात्मा की सृष्टि में आदि काल से ही विद्या शिक्षा प्राप्ति से ही उत्तरोत्तरकाल से ही विद्वान होते आये हैं। इस प्रकार से लोक कल्याणार्थ ही महर्षि ने अपने जीवन काल में जब तक गुरूवर विरजानन्द जी महाराज रहे तब तक उनके यहां पत्र लिख कर विद्यार्थियों को भेजते रहे।

गुरूवर के स्वार्गारोहण पश्चात् ही छः स्थानों पर पाठशालायें खोली जिनके नाम है, फर्रूखाबाद, मिर्जापुर, कासगंज, छलेसर, बनारस, लखनऊ यहां नियम यह रखा गया था कि–

"जो विद्यार्थी सन्ध्या नहीं करता व सूर्योदय से पूर्व नहीं उठता उसको दिन भर भोजन से वंचित रखकर सारे दिन गायत्री जाप करना पड़ता था। (लेखराम कृत पुस्तक वही पृष्ठ ८०७)

एवं कासगंज पाठशाला में प्रवेश हेतु प्रथम यह नियम था– विद्यार्थी सन्ध्या पढ़कर ही पाठशाला में प्रविष्टि पाते थे। इससे उनकी बुद्धि की भी परीक्षा हो जाती थी।

छलेसर की पाठशाला में दोनों समय सन्ध्या और यज्ञ भी होता था। इसी प्रकार ही महर्षि के शाहपुरा प्रवास समय से ही राजकीय विद्यालयों में धर्म शिक्षा अनिवार्य विषय कर दी थी। तत्कालीन शाहनरेश सर नाहर सिंह वर्मा ने। यहां प्रथम में नियम दश संक्षेप से व्याख्या सहित आगे दूसरी कक्षा में सन्ध्या तीसरी कक्षा में यज्ञ विधि दैनिक व साप्ताहिक पुनः आगे आर्यों व्यवहार भानु पोपलीला की पुस्तक सत्या सत्य निर्णय, सत्यार्थ प्रकाश के साथ–साथ ही महर्षि की संक्षिप्त जीवनी भी पढ़ाई जाती थी। आगामी कक्षाओं में इससे फल यह हुआ कि जो भी इस शाहपुरा के विद्यालयों से पढ़कर निकलता और आगे जहां भी गये वे स्वयं तो आर्य वैदिक विचारों के पक्के तो थे ही अन्यों को भी वैदिक विचारधारा वाले बनाकर आर्य समाज का ही कार्य करते थे। जो अब भी देखा जा सकता है। अतः हमारा यही कर्तव्य है कि हम आर्य समाज मन्दिर में ही न्यूनतम पांच जनों को अवश्य ही महर्षि कृत ग्रन्थ पढ़ाकर आर्य बनावें। इस दृढ़ निश्चय के साथ कि यही एकमात्र नई पीढ़ी को आर्य बनाने का सही सच्चा मार्ग है।

## हितेश

–हितेश कुमार शर्मा

मांगिये मत अब किसी से प्रश्न का उत्तर हितेश।
क्योंकि सब के पास हैं केवल विरोधी स्वर्ग हितेश।
सब की अपनी विवशताऐं हैं घने दायित्व हैं–
कौन आये कैसे आये अब किसी के घर हितेश।
धूप है बारिश है सर्दी है कभी तूफान है
घर से बाहर निकलना भी है बहुत दूभर हितेश
आइने में स्वय को देखोगे लज्जा आयेगी–
खो गया जो कल मिला था तन तुम्हें सुन्दर हितेश।
जितना सम्भव था सभी कुछ कर चुके अब बस करो–
ठहर जाना लाजमी है एक सीमा पर हितेश।
चाटूकारी और अवसरवादिता जब की नहीं–
कौन देता फिर तुम्हारी कल्पना को पर हितेश।
याचना करना भी छोड़ों साधना भी बंद हो–
अब जिलया कुछ दिन जारा निर्लिप्त भी रहकर हितेश।
जिंदगी के आखरी इस दौर में क्या मांगना–
जब कि अब तक जिंदगी जी है बहुत जी भर हितेश।
जो भी होना है वो अपने आप होता जायेगा–
मता जियो चिन्ताओं के अब बोझ को ढोकर हितेश।

# कर्म फल व्यवस्था में कुछ मान्य भ्रान्तियों का शंका समाधान

–पं0 उम्मेद सिंह विशारद
मो0: 9411512019

१८वीं शताब्दि में प्राचीन वैदिक ऋषियों की श्रेणी में हम एक मात्र महर्षि दयानन्द सरस्वती को पाते हैं। क्योंकि महर्षि दयानन्द जी से संसार को ईश्वरीय ऋत सत्य ज्ञान व विज्ञान से जोड़ने का मार्ग दिखाया। उन्होंने वेदों के रूढ़ी अर्थों पर प्रहार करके इतिहास परक अर्थों से छुड़ाकर ईश्वर परक अर्थ बताए। और वेदों के ईश्वर परक अर्थों से समाज में व्याप्त तमाम धार्मिक अन्धविश्वास सामाजिक, राजनैतिक, साम्प्रदायक मान्यताओं का उन्मूलन किया।

यह भी सत्य है कि सदियों से तमाम अन्धविश्वासों की गहरी जड़े मानवों के संस्कारों में जम चुकी है। इनको निकालना इतना आसान नहीं है किन्तु मुश्किल भी नहीं है। आज के युग में बड़ा से बड़ा राष्ट्र नेतृत्व वाला तथा धर्म गुरू या समाज सुधारक सत्य आध्यात्म ज्ञान के अभाव में भटक रहे हैं। और जब उच्च नेतृत्व ही अविज्ञान पथ पर चले तो जन साधारण की बात ही क्या कहें। आइए कुछ भ्रान्त मान्यताओं पर विचार करते हैं–

## शंका समाधान संक्षिप्त में

**प्रश्नः क्या हमें सुख दुःख प्राप्त होते हैं यह पूर्ण जन्म के या इस जन्म के कर्मों के फल हैं?**

उत्तर : मनुष्य को जन्म से मिश्रित फल प्राप्त हो किन्तु वर्तमान कर्मों के फल हमें सुख दुःख रूप में इसी जन्म में मिलते हैं। तीनों प्रकार के सभी दुःख अध्यात्मिक, आदिवैदिक तथा आधिभौतिक सुखों और दुःखों का पूर्वजन्मों के कर्मों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है किन्तु पूर्वजन्म के कर्मों के आधार पर कुछ गरीब के यहां जन्म लेते हैं कुछ धनाढ्य परिवारों में जन्म लेते हैं। यह सुविधा और असुविधा मिलना पूर्व जन्मों का फल है। विचारणीय है कि जीव के जन्म से पहले माता, पिता के पास उपलब्ध मार्गों व ज्ञान आदि के स्तर को ही उस जन्म लेने वाले जीव के पूर्व कर्मों से सम्बद्ध किया जा सकता है।

**प्रश्न : क्या मान्यता ठीक है कि भाग्य को बदला जा सकता है या हर कोई किस्मत का खाता है?**

उत्तर : इस प्रश्न पर अभी यह कहना है कि हम भाग्यवादी नहीं कर्मवादी बने। जीवन में कर्म प्रधान है और अच्छे व बुरे कर्म फल को हम भाग्य का फल *अज्ञानता से कहते हैं।*

जब भाग्य पूर्व निश्चित ही नहीं, अर्थात् इस जन्म में मिलने वाले सभी सुख व दुःख जब पूर्व जन्मों के आधार पर निश्चित नहीं तो पुरूषार्थ करके सदाचार द्वारा अपने सुखों को बढ़ाया तथा दुराचारा द्वारा अपने दुखों को बढ़ाया जा सकता है। वेदों की शिक्षा में पुरूषार्थ पर ही बल दिया गया है। कहा भी है मेरे दायें हाथ में पुरूषार्थ है और बांये हाथ में भाग्य है। केवल भाग्य के सहारे बैठने वाले व्यक्ति कभी सफल नहीं होते हैं।

**प्रश्न : समाज में भ्रूण हत्या करना क्या जन्म लेने वाले जीव के कर्मों का फल है।**

**उत्तर** : जन्म लेने वाले जीव का कर्मफल नहीं है। क्योंकि भ्रूण हत्या मातापिता के सहमति से उनकी स्वतन्त्रता के कारण हुई है, इसमें ईश्वर का कोई हस्ताक्षेप नहीं है। इस प्रकार दुःख को अधिभौतिक दुःख कहा जा सकता है।

महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने भूण हत्या को ब्रह्महत्या की संज्ञा दी है। अतः भ्रूण हत्या कराने वाला करने वाला तथा सहमति देने वाला सभी इस अपराध के दोषी हैं।

**प्रश्नः महर्षि दयानन्द सरस्वती जी द्वारा मृत्यु पूर्व कहे शब्द, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो का क्या अर्थ है।**

**उत्तर**– महर्षि दयानन्द सरस्वती जी वेदों के महा विद्वान थे वह जानते थे कि यह मुझे मारने का विरोधियों का षड्यन्त्र है। और षड्यन्त्र करना उनका स्वतन्त्र कर्म करने का कारण है, अतः षड्यन्त्र कारियों ने अपने कर्म की स्वतन्त्रता के कारण स्वामी जी को उनके रसोइये के माध्यम से कालकूट विष दूध में पिलवा दिया था, महर्षि दयानन्द जी उसी विष से महाप्रयाण कर गये थे, महान ईश्वर भक्त की अपने अन्तिम समय में परमात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा थी जो इस प्रकार से व्यक्त हुई और स्वामी जी के अन्तिम शब्द भी विचारणीय है कि तेरी इच्छा पूर्ण हो, आह! बहुत प्रसन्नता पूर्वक यह शब्द कहे गये है कि हे भगवन तेरे द्वारा जीवों के कल्याण के लिए लगा दिया था और इसी कल्याण की ईश्वरीय इच्छा के पूर्ण होने की प्रार्थना अन्तिम में कर गये थे।

**प्रश्नः किसी दुर्घटना में कुछ व्यक्ति मर जाते है, कुछ बच जाते है, क्या बचने वालों की आयु शेष थी इसीलिए बच गये।**

**उत्तर** : दुर्घटना में मरने वालों की न तो आयु समाप्त हुई थी, और न ही बचने वालों की आयु शेष थी, क्योंकि किसी की भी आयु पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर पूर्व निश्चित नहीं है। क्योंकि दुर्घटना में अलग–अलग व्यक्तियों की शारीरिक चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु शारीरिक क्षमता पर निर्भर करती है। हर व्यक्ति पर लगने वाली चोट अलग–अलग होती है। इसमें किसी की किस्मत का निश्चित कोई हाथ नहीं होता है इसलिए दुर्घटना किसी भी समय कही पर भी हो सकती है, व व्यक्तियों की मृत्यु या चोट लगना दुर्घटना के प्रकार पर निर्भर करती है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि जिनकी मृत्यु हुई उनकी आयु समाप्त हो गयी थी, और जो बच गये उनकी आयु शेष थी। ऐसा मानना मानसिक अन्धविश्वास है।

**प्रश्नः क्या ज्योतिष गन्थों में फलित भविष्य वाणियां की जाती है वह झूठी होती है।**

**उत्तर** : फलित ज्योतिष की भविष्य वाणियों व ग्रन्थ सभी कल्पना पर आधारित है वे झूठे हैं। तथा गणित ज्योतिष ग्रन्थ व उसकी भविष्य वाणियां ठीक हैं। गणित ज्योतिष में भुगोल में सूर्य, चन्द्र आदि की गति से सम्बन्धित ज्ञान विज्ञान है वह ही मात्र मानने योग्य है। शेष मानवों को भ्रमित करने वाला है।

**प्रश्न : जो लोग वैदिक धर्म को नहीं मानते हैं और विभिन्न मतो में जाकर पूजा पाठ करते हैं और सुख शान्ति का अनुभव करते हैं क्या वह सुख शान्ति गलत है।**

**उत्तरः** ईश्वरीय पूजा का सम्बन्ध आत्मा से है और आत्मा सत्य ज्ञान कर्म से ही सन्तुष्ट होती है जो ईश्वरीय वाणी वैदिक धर्म को छोड़ कर अन्य मतों में रहकर अन्ध पूजा करते हैं, वह उनके मन को तो वह सन्तुष्टी दे सकता है किन्तु सत्य विवेक और आत्म ज्ञान नहीं दे सकते हैं। उनको अपने लक्ष्य में जो सफलता मिलती है वह उनका पुरूषार्थ रहता है। सत्य ईश्वर की पूजा से केवल सत्य मार्ग मिलता है और कल्पित देवों की पूजा अर्चना से मनुष्य पाप, अत्याचार, व अनैतिकता से नहीं बच सकता है।

**प्रश्नः विभिन्न मतों के धर्मायार्य जो वेदों के प्रतिकूल असत्य धर्म का प्रचार कर रहे हैं क्या यह गलत है।**

**उत्तर** : महर्षि दयानन्द सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश के ग्यारहवें सम्मुलास में लिखते हैं कि जो विद्यादि सदगुणों में गुरूत्व नहीं है, और ऐसा कहते और झूठ–झूठ कंठी तिलक वेद विरूद्ध मंत्रोपदेश करते हैं, वे गुरू ही नहीं गडरिये जैसे है। गड़रिये अपनी भेड़ बकरियों से दूध आदि का प्रयोजन सिद्ध करते हैं वैसे ही शिष्यों के चेले चेलियों के धन हर के अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं।

## प्राक्कथन–ध्यानाकर्षण

आज संसार में अधिकांश मानव जगत कल्पित अन्ध विश्वास व भ्रम व मतभेद में फंसे हुए है। उतना तो महाभारत काल से पूर्व में भी नहीं थे। वेद धर्म न मानने के कारण ही जन साधारण मूल सत्य विद्धान्तों को नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए सत्य कर्म मीमांसा को समझना अनिवार्य है। मनुष्य का स्वाभाविक लक्ष्य है सत्य धर्म, सत्य ईश्वर को मानना, और ऋतसत्य की ओर समाज को राह दिखाना सबसे उत्तम पुण्य है और असत्य, ईश्वर के गुण कर्मानुसार और सृष्टि कर्म के विरूद्ध जनता को भ्रमित करना सबसे बड़ा पाप है। इस लेख में हमने वर्तमान अन्ध कर्म मीमांसा का संकेत मात्र किया है। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है समाज को सत्य मार्ग दिखाने की है।

श्रद्धेय पाठक जी आज विपरीत मान्यताओं के कारण ही मानव कर्म तथा कर्म फल के मूल सिद्धान्तों को समझ नहीं पाता है। और उचित और अनुचित क्या है इसका निणर्य नहीं कर पाता। और मनुष्य की सत्यपुरूषार्थी शक्ति, पुरूषार्थ से कमाया हुआ धन, और अमूल्य जीवन के मूल्यवान क्षण, और ईश्वरीय सिद्धान्त व सृष्टिक्रम व धर्म के विपरीत मान्यताओं के कारण, यह जीवन और अगला जन्म दुःख दायी होता है।

(नोट : इस लेख में सत्यार्थ प्रकाश और श्रद्धेय सतीश आर्य जी द्वारा लिखित ग्रन्थ कर्म एवं कर्मफलता मीमांसा से कुछ विचार लिये गये हैं।

# आर्य वीर प्रशिक्षण व संस्कार का तीन दिवसीय शिविर संपन्न

सत्यनारायण वेद प्रचार ट्रस्ट की ओर से अंगीकृत जिला वेद प्रचार संगठन के तत्वावधान में जानकीपुरम स्थित आर्षगुरूकुलम के परिसर में रविवार को तीन दिवसीय आर्यवीर प्रशिक्षण एवं संस्कार शिविर सम्पन्न हुआ। संस्था के संस्थापक आचार्य विश्वव्रत शास्त्री के अगुवाई में जौनपुर, बस्ती, मिर्जापुर और लखनऊ के ३५ आर्यवीरों ने हिस्सा लिया। शिविर के शिविरार्थियों ने चार अलग–अलग वर्गों में विभाजित किया था।

मिर्जापुर के वरिष्ठ आचार्य अमित शास्त्री ने आर्यवीरों को सुबह ५ से १० के बीच आसन, व्यायाम, प्राणायाम, दैनिक यज्ञ एवं बौद्धिक कार्यक्रमों के लिए प्रेरित किया। तीन दिवसीय आयोजित शिविर में संस्थपक विश्वव्रत शास्त्री ने आर्यवीरों को वैदिक मंत्रों एवं नीति श्लोकों का शुद्ध वचन एवं लेखन समेत व्याख्यान का प्रशिक्षण दिया। दोपहर २ से ४ के बीच शिविर के अभ्यर्थियों ने वेद, यज्ञ, ईश्वर, आत्मा, जीवन, मृत्यु एवं मोक्ष आदि विषयों पर जिज्ञासाएं जाहिर की। इस मौके पर नन्हें मुन्हों आर्यवीरों ने महज कुछ समय के प्रशिक्षण को हासिल कर अपनी प्रतिभा के जौहर दिखलाए। जिसे देख हर कोई दंग रह गया। कराटे के दांव हो या योगा के विभिन्न आसन, ईश्वरीय पूजन हो या अध्यात्म का ज्ञान, इन बच्चों ने प्रत्येक वर्ग में अपना सौ फीसदी योगदान दिया। संस्थापक आचार्य विश्व व्रत शास्त्री ने बताया कि आर्ष कुरूकुलम में अभ्यर्थियों को ज्ञान एवं अध्यात्म से जुड़ी हर एक विधा का प्रशिक्षण दिया जाता है। कार्यक्रम के समापन अवसर पर बेचन सिंह जी आर्य मिजापुर अखिलेश मिश्रा, अमित शास्त्री, डॉ सत्यकाम आर्य, नीवन कुमार सहगल, प्रताप कुमार, कविता सहगल एवं यशोदा शर्मा समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए।

पृष्ठ ३ का शेष

## स्वामी देवव्रत सरस्वती

योजनाओं के परिणाम तक सोचकर ही आप निर्णय लेते हैं भावुकता में कोई भी बयान बाजी नहीं करते यह आपके महापुरूष होने का सबसे बड़ा प्रमाण है आपका स्वभाव ही सदैव एक रस रहता है आप लाखों युवाओं के प्रेरणा श्रोत्र हैं आपके संगठन में पूरे देश से प्रतिनिधियों का चयन किया गया है। आपने एक योगाश्रम का भी निर्माण किया है जो फरीदाबाद के ही निकट है उसे प्रशिक्षण योग केन्द्र बनाने की योजना है।

पूरे देश में आपकी मांग सदैव रहती है समयानुसार लोगों का मार्ग दर्शन करते हैं वर्ष में २ मास के लिए स्वयं पहाड़ों पर एकान्त में जाकर कुछ विशेष साधना भी करते हैं आर्यजगत में आप इकलौते ही ऐसे सन्यासी हैं जो सब विद्याओं में निपुण होकर भी जन सामान्य की तरह होकर रहने में सुखानुभूति करते हैं।

आपसे आर्य जगत् को अभी बहुत अपेक्षायें हैं यह विद्या आपके शिष्यों में सुरक्षित होकर आर्य समाज को सुरक्षित करेगी देश–देशान्तर में फैले हुए आपके अनुयायी आपकी परम्परा का संरक्षण करते रहें तथा आपका आशीर्वाद समय–समय पर लम्बे समय तक मिलता रहें आपके सुन्दर स्वास्थ्य की कामना प्रभु से करता हुआ आर्य समाज की विजय कामना गुरूदेव के शब्दों में कर आपको बारम्बर नमन करता हूँ।

यावद् गंगा च गोदा च, यावद विन्ध्यहिमालयौ
तावद् आर्य सामजस्य कीतिर्भवतु भूतले।।१।।
यावद् सूर्यश्च चन्द्रश्च, यावत् त्तिष्ठति मेदिनी
यावद् आर्य समाजस्य, कीतिर्भवतु भूतले।।२।।

–स्वा० मनीश्वरानन्द सरस्वती
त्रिवेदतीर्थ

## 21 जून से 23 जून तक विश्व योग दिवस पर किया गया योग शिविर

२१ जून २०१८ को विश्व योग दिवस के अवसर पर गढ़मुक्तेश्वर में तहसील स्तर का योग शिवर डी.एम. पब्लिक स्कूल गढ़मुक्तेश्वर में आयोजित किया गया। सभा मन्त्री स्वामीधर्मेश्वरानन्द सरस्वती ने योग प्रशिक्षण प्रदान किया विभिन्न प्राणायाम एवं आसनों का अभ्यास कराते हुए उनके लाभ बताये कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी गढ़मुक्तेश्वर पुलिस उपाधीक्षक आरटीओ हापुड़ के अलावा अधिकारी क्षेत्रीय सामज सेवी उपस्थित रहे स्वामी जी को सम्मानित किया गया तथा शाल भेंट किया प्रबन्धक राजेन्द्र सिंह जी ने सभी का आभार व्यक्त किया बाद में सभी को आरोग्यामृत पेय पिलाया गया।

२३ जून को गुरूद्वारा में योग शिविर का समापन किया गया सभा मंत्री स्वामी जी ने योग करने का सभी को संकल्प कराया प्रि० रामनाथ सिंह जी ने अध्यक्षता की तथा ओ.पी. गौतम जी ने कार्यक्रम का संयोजन किया श्री बैजपाल सिंह जी का विशेष सहयोग रहा। गुरूद्वारा के अध्यक्ष एवं ग्रन्थी जी का भी स्वागत किया गया नगर के सभी प्रतिष्ठित महानुभाव मातयें एवं बच्चों ने भाग लिया कार्यक्रम बहुत सफल रहा।

## शोक संवेदना

१. आर्य समाज टीला सहबाजपुर लोनी के सदस्य श्री सतेन्द्र सिंह भगत जी की माता जी श्रीमती चरणवती का देहावसान हो गया। वे लगभग ७० वर्ष की थीं। सभा मंत्री स्वामी धर्मेश्वरानन्द सरस्वती जी ने शोक संवेदना प्रेषित की है। परिवार के लिए प्रभु से धैर्य धारण करने की प्रार्थना की परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। और परिवारी जनों यह असहनीय दुख सहने की क्षमता प्रदान करें।

**2. आर्यसमाज सदर पुर गोविन्द पुरम्** के सदस्य हरवीर सिंह जी के परिवार में मानवेन्द्र सिंह की माता जी का अचानक ह्रदयघात के कारण निधन हो गया उनके परिवार में वैदिक विद्वान श्री चन्द्रपाल शास्त्री एवं वृजेश शास्त्री जी ने शान्ती यज्ञ सम्पन्न कराया सभा मंत्री स्वामी धर्मेश्वरानन्द सरस्वती ने परिवार में जाकर शोक संवेदना व्यक्त की और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थन की।

शांति यज्ञ में क्षेत्र के लोगों ने भारी संख्या में स्वर्गीय माता जी को श्रद्धांजली अर्पित की।

## निर्वाचन

**1. आर्य समाज मुरादपुर–हापुड़**
प्रधान– श्री बाबू सुरेन्द्र सिंह आर्य
मन्त्री–श्री यशवीर सिंह आर्य
कोषाध्यक्ष– श्री नितिन कुमार आर्य

**2. आर्य समाज श्यामपुर बड़ा–हापुड़**
प्रधान– श्री महावीर सिंह आर्य
मन्त्री– श्री भनत राम आर्य
कोषाध्यक्ष– श्री सत्येन्द्र सिंह शास्त्री

**3. आर्य समाज अटौला–मेरठ**
प्रधान – श्री बिजेन्द्र सिंह आर्य
मन्त्री– श्री रामरहीस आर्य
कोषाध्यक्ष–श्री राजपाल सिंह आर्य

**4. आर्य समाज भगवान पुर झांझर–मेरठ**
प्रधान – श्री दर्शन पाल सिंह आर्य
मन्त्री– श्री कृपाल सिंह शास्त्री
कोषाध्यक्ष– श्री विजय पाल आर्य
संयोजक– श्री मा० हरीश पाल आर्य

**5. आर्य समाज सूरज कुण्ड–मेरठ**
प्रधान– श्री डॉ० आर०पी० सिंह
मन्त्री – श्री सरयू प्रसाद पटेल
कोषाध्यक्ष – श्री सुनील कुमार आर्य

**6. जिला आर्य प्रतिनिधि सभा बिजनौर**
प्रधान– श्री डॉ० विजय कुमार आर्य
मन्त्री – श्री रमेश जी आर्य
कोषाध्यक्ष – श्री राजेश आर्य

**7. जिला आर्य प्रतिनिधि सभा बुलन्दशहर**
प्रधान– श्री गंगा प्रसाद निराला
मन्त्री – श्री चौ० वीरेन्द्र सिंह आर्य
कोषाध्यक्ष – बनारसीदास आर्य

**8. आर्य समाज अहरौला पोस्ट, बास्टा बिजनौर (उ०प्र०)।**
प्रधान– श्री गुलाब सिंह आर्य
मन्त्री – श्री गुरूजीत सिंह आर्य
कोषाध्यक्ष – श्री रघुवीरी सिंह आर्य

**9. आर्य समाज गुलावटी बुलन्दशहर**
प्रधान– श्री विरेन्द्र सिंह लौर
मन्त्री – श्री सुनील कुमार आर्य
कोषाध्यक्ष – श्री सौरभ आर्या

**10. जिला आर्य प्रतिनिधि सभा अमरोहा**
प्रधान– श्री हरिनाम सिंह आर्य
मन्त्री – श्री ठाकुर सिंह आर्य कपासी
कोषाध्यक्ष – श्री जसवंत सिंह आर्य

**11. आर्य समाज वेद मन्दिर गोविन्द नगर, कानपुर**
प्रधान– श्री संजय गुप्ता
मन्त्री – श्री सत्येन्द्र
कोषाध्यक्ष – श्री आनन्द गुप्ता

**10. महिला आर्य समाज मन्दिर गोविन्द नगर**
प्रधान– श्रीमती नौरंग सिंह
मन्त्री – श्रीमती गायत्री आर्य
कोषाध्यक्ष – श्रीमती रागनी अवस्थी

ओ३म्

# उत्तर प्रदेश की समस्त आर्य समाजों/जिला प्रशासन/निबन्धक (विवाह पंजीयन)/निबन्धक/मण्डलीय उप निबंधक/सहायक निबन्धक, फर्म्स सोसायटीज एवं चिट्स तथा जिला आर्य प्रतिनिधि सभाओं के नाम विज्ञापित पत्र।

## विवाह सम्बन्धी आदेश/निर्देश

- आर्य मैरिज वैलीडेशन ऐक्ट–19 ऑफ 1937 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में कार्यरत् आर्य समाजों द्वारा विवाह कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश की आर्य समाजों की स्वामिनी/प्रशासनिक संस्था आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0 द्वारा जारी आवश्यक निर्देश एवं औपचारिकता पूर्ति के सम्बन्ध में।
- उत्तर प्रदेश की समस्त आर्य समाजों को अवगत एवं सूचित करना है, कि उत्तर प्रदेश में कार्यरत् आर्य समाजों की शिरोमणि संस्था आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0, नारायण स्वामी भवन, 5–मीराबाई मार्ग, लखनऊ सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट–1860 के अन्तर्गत एक पंजीकृत संस्था है तथा उत्तर प्रदेश में कार्यरत् आर्य समाजों की स्वामिनी/प्रशासनिक संस्था आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0, लखनऊ है तथा इसी से प्रदेश की आर्य समाजें सम्बद्ध/पंजीकृत हैं। आर्य समाज के नियम–उपनियम सं0–40, 41 व 43 एवं संस्था आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0, लखनऊ की पंजीकृत नियमावली के नियम–68 के अन्तर्गत किसी भी आर्य समाज का अलग से पंजीकरण कराया जाना उपरोक्त नियमों के विपरीत एवं विधिशून्य है।
  - **आर्य समाज के नियम– उपनियम– *40, 41, 43 निम्न प्रकार है:–***
- "40– प्रत्येक प्रान्त में एक मुख्य सभा होगी, जिसका नाम आर्य प्रतिनिधि सभा होगा। सब समाजों की व्यवस्था उसी के अधीन तथा अनुकूल होगी। यह सभा अपने नियमादि स्वयं बनावेगी।"
- "41– स्थानीय समाज की ओर से प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा की किसी आज्ञा व व्यवस्था का घोर और निरन्तर विरोध होने अथवा स्थानीय समाज में ऐसी अवस्था हो जाने पर जो प्रान्तीय सभा की सम्मति में समाज के लिए हानिकारक हो, प्रान्तीय सभा के प्रधान को अपनी अन्तरंग सभा की अनुमति से अधिकार होगा कि उस स्थानीय समाज के संगठन को नियत समय के लिए स्थगित कर देवे और समाज तथा समाज के अधीन संस्थाओं का प्रबन्ध उचित रीति से करावे।"
- "43– प्रान्तीय सभाओं से सम्बद्ध आर्य समाजों की रजिस्ट्री प्रान्तीय सभाओं से पृथक नहीं हो सकती। यदि कोई समाज अपनी सम्पत्ति और संगठन की रजिस्ट्री पृथक करायेगा और प्रान्तीय सभा चाहे तो वह धारा–41 के अनुसार उस समाज के विरूद्ध कार्यवाही कर सकती है।"
- **आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश, लखनऊ का नियम–5 (ई), 16 (1 व 2), 37, 67 (1) एवं 68, निम्नवत् है:–**
- नियम 5 का तात्पर्य प्रधान के कर्त्तव्याधिकार से है–
- **"5 (ई)– असाधारण परिस्थिति में वह विशेष साधनोपायों का प्रयोग करेगा और उस विषय को आगामी अन्तरंग में प्रस्तुत करेगा।"**
- **"16 (1)–किसी आर्य समाज या किसी आर्य संस्था की ओर से सभा की किसी आज्ञा व व्यवस्था का घोर और निरन्तर उल्लंघन होने अथवा स्थानीय आर्य समाज या आर्य संस्था में ऐसा कुप्रबन्ध हो जाने पर जो सभा की सम्मति से समाज या संस्था के लिए हानिकारक हो, सभा के प्रधान/मन्त्री को अन्तरंग सभा की अनुमति से, जिसके विज्ञापन विषयों में यह विषय भी समाविष्ट हो अधिकार होगा कि उस स्थानीय समाज या संस्था के संगठन को नियत समय के लिए स्थगित कर देवे अथवा भंग कर देवे, समाज तथा उसके अधीन संस्थाओं अथवा अन्य आर्य संस्थाओं का प्रबन्ध उचित रीति से करें या करावें परन्तु यह व्यवस्था एक वर्ष तक ही रहेगी आवश्यकता होने पर एक वर्ष की अवधि और बढ़ायी जा सकती है।"**
- **टिप्पणी:– इस खण्ड में प्रयुक्त आर्य संस्था की परिभाषा निम्न प्रकार है:–**
- **आर्य संस्था से अभिप्राय उस संस्था से है जो किसी आर्य समाज व उस संस्था द्वारा जो आर्य समाज में श्रद्धा रखती हो या उस व्यक्ति के द्वारा जो आर्य समाजी हो, स्थापित या संचालित हो, या नियंत्रित हो अथवा आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश सं संबंधित हो, तथा आर्य प्रतिनिधि सभा या किसी आर्य समाज को उस संस्था के सम्बन्ध में कोई अधिकार प्राप्त हो।"**
- **"16 (2)– यदि किसी सम्बन्धित आर्य समाज का कोई आर्य सभासद आर्य समाज के सिद्धान्तों और उद्देश्यों अथवा वैधानिक नियमों के विरूद्ध आचरण और व्यवहार करता हो अथवा सभा की आज्ञाओं की लगातार अवहेलना करता और उनको भंग करता हो, तो अन्तरंग सभा की स्वीकृति से प्रधान/मन्त्री सभा को अधिकार होगा कि उस सभासद को नियत अवधि के लिए स्थगित कर दे अथवा आर्य सभासदी से पृथक कर दे।"**
- **"37–यह प्रदेशीय न्याय सभा उन समस्त वादों और विरोधों को सुनेगी, जो प्रदेशीय आर्य प्रतिनिधि सभा के सम्बद्ध आर्य समाजों के मध्य 'उत्पन्न हुये हों, अथवा जो प्रदेशीय आर्य प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के बीच सभा सम्बन्धी विषयों से सम्बद्ध और यह आर्य समाजों के सदस्यों के बीच उत्पन्न हुये ऐसे विवादों और मतभेदों को भी सुनेगी जिन्हें प्रदेशीय आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान अथवा प्रदेशीय न्याय सभा के प्रधान निर्णयार्थ इसके समक्ष भेजेंगे। यह सभा स्थानिक न्याय के निर्णयों के विरूद्ध आयी हुई अपीलों (अभ्यर्थनाओं) को सुनेगी और उनका निर्णय करेगी।"**
- "67 (1)–सभी सम्बन्धित आर्य समाजों और उनकी संस्थाओं का धन गवर्नमेंट सिक्योरिटी अथवा अन्य किसी अन्तरंग सभा द्वारा स्वीकृत व्यवस्था या बैंक में रहेगी।"
- **अतः उपरोक्त नियम के अनुसार बैंक में/स्वीकृत संस्था में, आर्य समाज का खाता खोलना अनिवार्य है।**
- "68–इस सभा से सम्बद्ध आर्य समाजों आर्य शिक्षण संस्थाओं की रजिस्ट्री इस सभा से पृथक नहीं हो सकती। यदि कोई आर्य समाज, आर्य शिक्षण संस्था अपनी सम्पत्ति और संगठन की रजिस्ट्री पृथक करायेगा तो उसके विरूद्ध अनुशासन की कार्यवाही की जा सकती है।"
- **अतः सम्बद्ध आर्य समाजें एवं आर्य शिक्षण संस्थाओं की पृथक रजिस्ट्री सम्बन्धी प्रयास न करें तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही से बचें।**
- आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0, 5–मीराबाई मार्ग, लखनऊ की अन्तरंग सभा (प्रबन्ध समिति) की बैठक दिनांक–22 अप्रैल, 2018 में पारित प्रस्ताव के अनुपालन में आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध/पंजीकृत आर्य समाजों को निर्देशित किया जाता है कि वे 25 जुलाई, 2018 के उपरान्त कोई भी विवाह आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0, लखनऊ द्वारा निर्देशित नियमों का पालन करते हुए ही सम्पन्न करायेंगें तथा आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0, लखनऊ द्वारा निर्गत विवाह प्रमाण पत्र के प्रारूप पर ही विवाह प्रमाण पत्र जारी करेंगे।
- विवाह प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि तीन प्रतियों में है, जो आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0, लखनऊ द्वारा जारी किये जाने की व्यवस्था कर दी गई है। अतः सभी सम्बद्ध/पंजीकृत आर्य समाजों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी आवश्यकतानुसार प्रति विवाह प्रमाण–पत्र शुल्क रू0 500/– की दर से udn अथवा आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0, लखनऊ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवाकर संस्था कार्यालय–आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0, 5–मीराबाई मार्ग, लखनऊ में जमा करके प्राप्त कर लें।
- **विवाह सम्बन्धी महत्वपूर्ण औपचारिकताएं निम्नवत् हैं:–**
- 1– दोनों (लड़का एवं लड़की) पक्षों से विवाह सम्बन्धी प्रार्थना पत्र प्राप्त किया जाना।
- 2– लड़का व लड़की की तरफ से एफीडेविड (रू0 10–10 के स्टैम्प पेपर पर) नोटरी द्वारा प्रमाणित, जिसमें अविवाहित होने, विवाह विच्छेदन सम्बन्धित विवरण एवं आदेश की प्रति, पति एवं पत्नी में से किसी एक की मृत्यु सम्बन्धी प्रमाण पत्र तथा आर्य समाज के सिद्धान्तों एवं नियमों में पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखने, तथा विवाह से पूर्व किसी थाने में प्राथमिकी दर्ज न होने, दहेज लेन–देन से मुक्त होने, परिवार के रजामन्दी अथवा अपनी स्वेच्छा से बिना किसी जोर–दबाव के तथा किसी भी तथ्य को छिपाने की दशा में आर्य समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि स्वयं जिम्मेदार होने से सम्बन्धित शपथ पत्र प्राप्त किये जाने अनिवार्य होगें, यदि किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही पक्षकारों द्वारा की जाती है, तो उसका समस्त उत्तरदायित्व (मय खर्चा सहित) पक्षकारों का होगा।
- 3– वैदिक धर्म/हिन्दू मत के अतिरिक्त अन्य (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई) मत के लड़का–लड़की के विवाह के लिए वैदिक धर्म/हिन्दू मत अपनाये जाने के लिए धर्म (मत) परिवर्तन हेतु शपथ पत्र प्राप्त करने के उपरान्त धर्म (मत) परिवर्तन किया जाएगा तथा विवाह से पूर्व परिवर्तित नाम किसी पंजीकृत अखबार में प्रकाशित कराया जाना अनिवार्य होगा।
- 4– आयु प्रमाण पत्र (हाई स्कूल का प्रमाण पत्र अथवा सी0एम0ओ0 द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र) बालिग होने से सम्बन्धित।
- 5– निवास प्रमाण पत्र (आधार कार्ड अनिवार्य रूप से)।
- 6– वर–वधू पक्ष से दो गवाह नाम पता एवं फोन नं0/मोबाईल नम्बर उनके आधार कार्ड सहित प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 7– लड़का–लड़की के 6–6 फोटो पासपोर्ट साईज के।
- **उपरोक्त औपचारिकताएं विवाह से पूर्व पूर्ण करा लेना होगा।**
- 8– विवाह मण्डप के तीन फोटो (जयमाल, सिंदूर दान एवं फेरे के)
- 9– विवाह पंजिका पर विवाह सम्बन्धी एक संयुक्त फोटो रजिस्टर पर चस्पाकिया जाना अनिवार्य होगा।
- आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध/पंजीकृत आर्य समाजों को निर्देशित किया जाता है, कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन

**शेष पृष्ठ ८ पर**

ओ३म्
# आर्य मित्र
नारायण स्वामी भवन, ५-मीराबाई मार्ग, लखनऊ दूर/फैक्सः ०५२२-२२८६३२८
का० प्रधान- ०९४१२७४४३४१, मंत्री- ०९८३७४०२१६२, व्यवस्थापक- ९३२०६२२२०५
ई-मेल : apsabhaup86@gmail.com

सेवा में

.....

.....

पृष्ठ ७ का शेष

## उत्तर प्रदेश की समस्त आर्य समाजों/जिला प्रशासन/निबन्धक (विवाह पंजीयन).....

किया जाये तथा नियमानुसार विवाह संस्कार सम्पन्न कराया जाये तथा स्वामिनी संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के प्रारूप पर ही विवाह प्रमाण–पत्र जारी किया जाये। आदेशों–निर्देशों के उल्लंघन करने की स्थिति में नियमानुसार यथोचित वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी तथा डुप्लीकेसी करने सम्बन्धी प्रकरण प्रकाश में आने पर जॉचोपरान्त सम्बन्धित आर्य समाज की मान्यता स्थगित/निरस्त कर संस्था के उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

- उत्तर प्रदेश में संस्था आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध आर्य समाजें किसी भी कार्य दिवस में विवाह प्रमाण पत्र उपरोक्तवत् निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त कर सकते हैं।
- उपरोक्त आदेश/निर्देश/निर्णय संस्था आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0, लखनऊ की अन्तरंग सभा की बैठक दिनांक–22 अप्रैल,2018 में पारित प्रस्ताव के क्रम में जारी किये जा रहे हैं। अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।
- उपरोक्त कार्यवाही इस आशय से जारी की जा रही है, क्योंकि प्रदेश में आर्य समाज एवं संस्था आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0, के उपरोक्त नियमों, उप–नियमों के विपरीत अनाधिकृत एवं अपंजीकृत आर्य समाजों द्वारा मनमाने तरीके से विवाह प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं, जिस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जा सके।
- **नोटः–आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0, लखनऊ से निर्गत एवं आर्य समाज से जारी विवाह प्रमाण पत्र खो–जाने/नष्ट हो जाने की स्थिति में नजदीकी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए रू0 10/– के स्टैम्प पेपर पर सम्बन्धित आशय का शपथ पत्र आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0, 5–मीराबाई मार्ग, लखनऊ में जमा कर दूसरी प्रति के लिए नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकता है।**
- **विवाह प्रमाण–पत्र का नमूना प्रति निम्नवत् प्रकाशित किया जा रहा हैः–**

(स्वामी धर्मेश्वरानन्द सरस्वती)
सभा मन्त्री

स्थापित : ..... ओ३म् पंजी० संख्या : .....
कृण्वन्तो विश्वमार्यम्

**आर्य समाज**

(सम्बद्ध–आर्य प्रतिनिधि सभा उ०प्र०, ५ मीराबाई मार्ग, लखनऊ)
फोन : 0522–2286328 • ई–मेल apsabhaup86@gmail.com

**विवाह प्रमाण–पत्र**

क्रमांक : दिनांक : .....

**सभा प्रति**

आज दिनांक ..... को आयुष्मती .....
जन्म तिथि ..... सुपुत्री .....
पता .....
..... का
विवाह चि० श्री ..... जन्म तिथि .....
सुपुत्र श्री ..... पता .....
..... के
साथ "द आर्य मैरिज वैलीडेशन एक्ट १९ ऑफ १९३७" के अन्तर्गत वैदिक रीति
से आर्य समाज ..... कार्यालय पता .....
..... जिला ..... में सम्पन्न कराया गया।

गवाह का नाम व पता :
१. .....
.....
२. .....
.....

पुरोहित का नाम व मोबाइल नम्बर
.....
.....

प्रधान/मंत्री

स्थापित : ..... ओ३म् पंजी० संख्या : .....
कृण्वन्तो विश्वमार्यम्

**आर्य समाज**

(सम्बद्ध–आर्य प्रतिनिधि सभा उ०प्र०, ५ मीराबाई मार्ग, लखनऊ)
फोन : 0522–2286328 • ई–मेल apsabhaup86@gmail.com

**विवाह प्रमाण–पत्र**

क्रमांक : दिनांक : .....

**आर्य समाज प्रति**

आज दिनांक ..... को आयुष्मती .....
जन्म तिथि ..... सुपुत्री .....
पता .....
..... का
विवाह चि० श्री ..... जन्म तिथि .....
सुपुत्र श्री ..... पता .....
..... के
साथ "द आर्य मैरिज वैलीडेशन एक्ट १९ ऑफ १९३७" के अन्तर्गत वैदिक रीति
से आर्य समाज ..... कार्यालय पता .....
..... जिला ..... में सम्पन्न कराया गया।

गवाह का नाम व पता :
१. .....
.....
२. .....
.....

पुरोहित का नाम व मोबाइल नम्बर
.....
.....

प्रधान/मंत्री

स्थापित : ..... ओ३म् पंजी० संख्या : .....
कृण्वन्तो विश्वमार्यम्

**आर्य समाज**

(सम्बद्ध–आर्य प्रतिनिधि सभा उ०प्र०, ५ मीराबाई मार्ग, लखनऊ)
फोन : 0522–2286328 • ई–मेल apsabhaup86@gmail.com

**विवाह प्रमाण–पत्र**

क्रमांक : दिनांक : .....

आज दिनांक ..... को आयुष्मती .....
जन्म तिथि ..... सुपुत्री ..... पता .....
.....
का विवाह चि० श्री ..... जन्म तिथि .....
सुपुत्र श्री ..... पता .....
..... के साथ
"द आर्य मैरिज वैलीडेशन एक्ट १९ ऑफ १९३७" के अन्तर्गत वैदिक रीति से आर्य समाज .....
कार्यालय पता ..... जिला ..... में सम्पन्न कराया गया।

गवाह का नाम व पता :
१. .....
.....
२. .....
.....

पुरोहित का नाम व मोबाइल नम्बर
.....
.....

प्रधान/मंत्री

# अन्तरंग अधिवेशन सूचना

आर्य प्रतिनिधि सभा उ०प्र०, लखनऊ के सभी पदाधिकारियों, प्रतिष्ठित, सहायुक्त एवं अन्तरंग सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आर्य प्रतिनिधि सभा उ०प्र०, लखनऊ की अन्तरंग सभा का साधारण अधिवेशन दिनांक २२ जुलाई २०१८ दिन–रविवार, आषाढ़ शुक्ल दशमी, पूर्वाह्न ११.०० बजे से स्थान– आर्य समाज गंज स्टेशन रोड मुरादाबाद में प्रधान/का० प्रधान डॉ० धीरज सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न होगी, जिसमें आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है।

एजेण्डा एवं विस्तृत विषयों की रूप–रेखा सभी को डाक द्वारा भेज दी गई है। कृपया समय से उपस्थित होकर अधिवेशन को सफल बनाये।

**– स्वामी धर्मेश्वरानन्द सरस्वती**
**सभा मंत्री**

स्वामी–आर्य प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश सम्पादक – मुद्रक –प्रकाशक –श्री स्वामी धर्मेश्वरानन्द सरस्वती, भगवानदीन आर्य भाष्कर प्रेस, 5–मीराबाई मार्ग, लखनऊ के लिए अस्थायी रूप में शारदा प्रिंटिंग प्रेस, माडल हाउस, लखनऊ से मुद्रित एवं प्रकाशित लेखों में वर्णित भाषा या भाव से सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है– सम्पूर्ण विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ न्यायालय होगा।